उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या: 60 –विनियम एवं काविनी /पाकालि /2023–7–विनियम/2019 **दिनांक: 30 जनवरी, 2023**

कार्यालय ज्ञाप

कम्पनी अधिनियम–2013 की धारा–179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल–47, 48 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनॉक 17.01.2023 को सम्पन्न 188(27) बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कार्यालय ज्ञाप सं0–875–विनियम एवं काविनी/पाकालि/20 दिनांक 28.10.2020 द्वारा निर्गत उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली, 2020 में एतद्द्वारा निम्नानुसार तृतीय संशोधन किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली, 2020 (तृतीय संशोधन)

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में अधिकतम वेतनमान में स्थिरता प्राप्त कर चुके कार्मिकों एवं सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होने वाले कार्मिकों को प्रदत्त दण्डादेशों के कियान्वयन हेतु, कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप सं0–875–काविनी एंव विनिमय दिनांक 28.10.2020 द्वारा निर्गत **उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली–2020** के **विनियम–3 "शास्तियॉ"** के अन्तर्गत (स्तम्भ–01) **लघु शास्तियॉ (दो)** एवं **दीर्घ शास्तियॉ (एक)**, को निम्नानुसार स्तम्भ–02 में उल्लिखित अतिरिक्त व्यवस्था से प्रतिस्थापित किया जाता है :–

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली–2020 का वर्तमान में प्रचलित विनियम–3 "शास्तिया"	**प्रतिस्थापित विनियम**
स्तम्भ–01	**स्तम्भ–02**
लघु शास्तियॉ (दो) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन वृद्धि को रोकना।	**लघु शास्तियॉ (दो)** किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन वृद्धि को रोकना ***अथवा विनिर्दिष्ट संख्या में वेतन वृद्धि को असंचयी प्रभाव से कम किया जाना।***
दीर्घ शास्तियॉ (एक) संचयी प्रभाव के साथ वेतन वृद्धि का रोकना।	**दीर्घ शास्तियॉ (एक)** संचयी प्रभाव के साथ वेतन वृद्धि का रोकना ***अथवा विनिर्दिष्ट संख्या में वेतन वृद्धि को संचयी प्रभाव से कम किया जाना***

2. उपरोक्तानुसार, **"उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली–2020"** में **तृतीय संशोधन** तत्काल समय से प्रभावी माना जायेगा। कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0–875–विनियम एवं काविनी/पाकालि/20 दिनांक 28.10.2020 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली, 2020 (यथा संशोधित) उक्त सीमा तक संशोधित मानी जायेगी एवं विनियमावली के अन्य समस्त प्राविधान यथावत् रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

सं0: 60–(1)–विनियम एवं काविनी–29/पाकालि/23 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

3- प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी/प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ/म0वि0वि0नि0लि0, लखनऊ/द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।

4- समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

5- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

6- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

7- अपर सचिव-I/II/III, शक्ति भवन (मु0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

8- समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

9- उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

10- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0 407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

11- सम्बन्धित पत्रावली में अभिलेखार्थ।

आज्ञा से,

(राकेश भट्ट)
उप सचिव (का०वि०नी० एवं विनियम)

e:\kavini files\viniyam files 329\u.o. files\u.o.no. 2023\05-u-o no. 2022 (05-j.s. dp-22)\letter.doc